

an>

Title: Need to set up Allahabad High Court Bench at Meerut, Agra and Gorakhpur in Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठायी जाती रही है। आगरा में खंडपीठ की मांग आगरा के माननीय सांसद महोदय द्वारा तथा गोरखपुर में खंडपीठ की मांग उत्तरप्रदेश के वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गोरखपुर के माननीय सांसद के नाते उठायी जाती रही है। आज भी कार्य सूची में जो निजी विधेयकों की सूची है, उनमें पहला विधेयक इसी उद्देश्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नाम से दर्ज है। जनता के व्यापक हित में इन तीनों स्थानों पर इलाहाबाद न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। काल बाह्य नियमों एवं व्यवस्थाओं में खंडपीठों की स्थापना की प्रक्रिया फंस कर रह जाती है तथा परिणामस्वरूप प्रदेश के करोड़ों वादकारी आज भी सस्ते एवं सुलभ न्याय से वंचित हैं।

अध्यक्ष महोदया, उत्तरप्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा प्रदेश में 75 जनपद हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है, जिसके न्यायिक क्षेत्र में 14 जनपद आते हैं। लखनऊ खंड पीठ की तरह प्रत्येक न्यायिक क्षेत्र में न्यूनाधिक औसत 15 जनपद रखते हुए उपरोक्त तीनों स्थानों पर नई खंड पीठों की स्थापना करना सर्वथा न्यायोचित है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार नई सोच एवं टढ़ इच्छाशक्ति के साथ राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जड़ता को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। गरीब व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं तथा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की जनता को सुलभ व सस्ता न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए मेरठ, आगरा और गोरखपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंड पीठ स्थापित किए जाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर पूर्ण कराने की भी कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष :

श्री शरद त्रिपाठी,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल,

डॉ. सत्यपाल सिंह और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।